

प्रकरण क्रमांक : निगा - 40 - II - 16

श्री. श्री. राजनी अच्युत शर्मा कन्छेदी तनय घनश्याम नाई

द्वारा आज दि. 4-01-16 को प्रस्तुत

निवासी, ग्राम देवराहा, तहसील पलेरा,

जिला टोकमगढ़ § MO प्रो §

- - आवेदक/निगरानी कर्ता

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

॥ विद्वा ॥

MO प्रो शासन

द्वारा तहसीलदार पलेरा जिला टोकमगढ़ § MO प्रो §

- - अनावेदक

4-01-16

न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर टोकमगढ़ द्वारा जारी निर्देश/आदेश प्रकरण क्रमांक - 45/बी-121/वर्ष 2013-14 आदेश दिनांक 29/05/2014 के पालनार्थ मौजा संबंधित भूमि पटवारी हल्का रिकार्ड में दर्ज कराने हेतु निगरानी अन्तर्गत धारा - 50 MO प्रो भू राजस्व संहिता 1959 :-

आवेदक/निगरानीकर्ता को ओर से निम्न प्रार्थना है :-

यह कि, आवेदक/निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम लहर बुजुर्ग तहसील पलेरा जिला टोकमगढ़ में स्थित भूमि खसरा नंबर 142/4 रकबा 2.023 हे० का व्यवस्थापन अपने पक्ष में करने हेतु तत्कालीन तहसीलदार महोदय पलेरा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया, तत्कालीन तहसीलदार ने उक्त आवेदन स्वीकार कर पटवारी प्रतिवेदन चाहा, पटवारी प्रतिवेदन रिपोर्ट के आधार पर अपने प्रकरण क्रमांक 459/अ-19 बर्ष 2002-2003 में पारित आदेश दिनांक 01/05/2003 के द्वारा आवेदक/निगरानीकर्ता के पक्ष में ग्राम लहर बुजुर्ग तहसील पलेरा में स्थित भूमि खसरा नंबर 142/4 रकबा 2.023 हे० पर भूमि स्वामो नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया गया ।

यह कि, तहसीलदार महोदय पलेरा के प्रकरण क्रमांक 459/अ-19 बर्ष 2002-2003 में पारित आदेश दिनांक 01/05/2003 पारित होने के बावजूद उक्त आदेश का पालन अमल में तत्कालीन पटवारी मौजा हल्का द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया गया न ही दर्ज करने का कोई कारण बताया गया ।

Presented by
4-1-16.


द्वारा राजनी अच्युत शर्मा

04-1-16

87

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि.के हस्ता
18-1-16	<p>आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 45 बी 121/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 29-5-2014 पर से म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कानुसार एवं प्रकरण के अवलोकन से वस्तुस्थिति यह है कि ग्राम लहर बुजुर्ग तहसील पलेरा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 142/4 रकबा 2.023 हैक्टर तहसीलदार पलेरा के प्रकरण क्रमांक 459 अ-19/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 01-05-2003 से आवेदक के हित में व्यवस्थापित की गई, परन्तु पटवारी ने तहसीलदार के आदेश का अमल खसरे में नहीं किया, जबकि आवेदक कच्छेदी पुत्र घनश्याम नाई व्यवस्थापन के दिन से निरस्तर काविज होकर खेती करता आ रहा है फिर भी पटवारी ने गस्त के दौरान भी उसका अमल खसरे में नहीं किया।</p> <p>3/ आवेदक ने आवेदन प्रस्तुत कर कलेक्टर टीकमगढ़ से तहसीलदार के आदेश दिनांक 1-5-2003 का अमल कराये जाने का निवेदन किया। यह आवेदन अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में आने पर प्रकरण क्रमांक 45/बी-121/2013-14 पर दर्ज किया जाकर सुनवाई की गई। अपर कलेक्टर टीकमगढ़ ने तहसीलदार पलेरा के प्रकरण क्रमांक 459 अ-19/2002-03 को मँगवाकर सुनवाई करते हुये</p>	

for




आदेश दि. 29-5-14 पारित किया तथा तहसीलदार के आदेश दिनांक 01-05-2003 का खसरे में अमल किये जाने के आदेश दिये, परन्तु हलका पटवारी ने इन आदेशों का भी पालन नहीं किया, जिसके कारण दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों का पालन कराये जाने हेतु यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

4/ उपलब्ध अभिलेख के अनुसार जब तहसीलदार पलेरा ने प्रकरण क्रमांक 459 अ-19/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 1-5-2003 से ग्राम लहर बुजुर्ग तहसील पलेरा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 142/4 रकबा 2.023 हैक्टर आवेदक के नाम व्यवस्थापित की है एवं अपर कलेक्टर टीकमगढ़ ने प्रकरण क्रमांक 45/बी-121/2013-14 पारित आदेश दिनांक 29-5-14 से अमल किये जाने के आदेश दिये हैं, तब तहसीलदार का दायित्व है कि वह हलका पटवारी से ग्राम ग्राम लहर बुजुर्ग तहसील पलेरा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 142/4 रकबा 2.023 हैक्टर पर खसरे में आवेदक के नाम की प्रविष्टि दर्ज कराये।

5/ अतएव निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार पलेरा को आदेश दिये जाते हैं कि वह अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के आदेश दिनांक 29-5-14 का पालन कराये तथा आवेदक के नाम की प्रविष्टि खसरा एवं अन्य शासकीय अभिलेख दर्ज में करावें।

for


सदस्य